

**अभियंता प्रमुख मुख्यालय का कार्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।**

पत्रांक- /क0क्षे0वि0अं0-83 /2022- /पटना, दिनांक- /01 /2026
प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, हार्डिंग रोड,
सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
तृतीय तल, सोन भवन, पटना।

विषय:-

सोन भवन के तीसरे तल्ले पर राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के बगल वाली खाली जगह (4457.68 वर्गफीट) तथा पूर्व से अधिग्रहित क्षेत्र 7384.98 वर्गफीट के लिए एकरारनामा करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-विविध-80-35 /2012(खंड-1)-3736 पटना, दिनांक-12.09.2025, अधीक्षण अभियंता का पत्रांक-128 दिनांक-23.09.2025, आपका पत्रांक-विविध-80-35 /2012(खंड-1)-4355 पटना, दिनांक-20.11.2025, अधीक्षण अभियंता का पत्रांक-163 दिनांक-27.11.2025, आपका पत्रांक-विविध-80-35 /2012(खंड-1)-4585 पटना, दिनांक-16.12.2025, अधीक्षण अभियंता का पत्रांक-172 दिनांक-24.12.2025 एवं आपका पत्रांक-विविध-80-35 /2012(खंड-1)-125 पटना, दिनांक-09.01.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके द्वारा सोन भवन के तीसरे तल्ले पर राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के बगल वाली खाली जगह (4457.68 वर्गफीट) तथा पूर्व से अधिग्रहित क्षेत्र 7384.98 वर्गफीट के लिए अधीक्षण अभियंता, कमांड क्षेत्र विकास अंचल, सोन भवन, पटना के पत्रांक-172 दिनांक-24.12.2025 द्वारा एकरारनामा करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव पर सूचित किया गया है कि "निबंधन के माध्यम से एकरारनामा करने खर्च ज्यादा होने के कारण एकरारनामा 1000 रूपये के स्टाम्प पर किया जाये तथा समय अन्तराल पर पुनः एकरारनामा किया जाय।

उक्त के संबंध में आपके प्रसंगाधीन पत्रांक-विविध-80-35 /2012(खंड-1)-4355 पटना, दिनांक-20.11.2025 द्वारा निर्धारित दर पर खाली स्थान उपलब्ध कराने हेतु सहमति संसूचित किया गया। अधीक्षण अभियंता, कमांड क्षेत्र विकास अंचल, सोन भवन, पटना के पत्रांक-128 दिनांक-23.09.2025 द्वारा संसूचित निर्धारित दर एवं शर्तों सरकार एवं वाल्मी शासी पर्षद द्वारा स्वीकृत है। आपको संसूचित अन्य शर्तों के साथ-साथ कंडिका-7 में स्पष्ट उल्लेख है कि "प्रारंभिक लीज एकरारनामा 06 (छः) वर्षों के लिए होगा। छः वर्ष के बाद भवन स्वामी एवं किरायेदार की सहमति से निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी की स्वीकृति प्राप्त कर तीन-तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिकतम 12 (बारह) वर्षों तक लीज एकरारनामा विस्तारित किया जायेगा।" अतएव इसके लिए आपको निर्बंधित एकरारनामा कराना अनिवार्य है।

आपके द्वारा पूर्व से अधिग्रहित क्षेत्र 7384.98 वर्गफीट का एकरारनामा दिनांक-22.11.1995 को किया गया था, जो तीन वर्षों के लिए यथा- दिनांक-21.11.1998 को समाप्त हो चुका है। इसके लिए बार-बार अनुरोध के बावजूद आपके द्वारा अबतक एकरारनामा नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा तीसरे तल्ले पर राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के बगल वाली खाली जगह (4457.68 वर्गफीट) को निर्धारित किराया एवं शर्तों पर लेने हेतु अन्य कार्यालय इच्छुक हैं। आपके द्वारा कतिपय कारणों से विलम्ब करने के कारण सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है।

✓

अतः अनुरोध है कि सोन भवन के तीसरे तल्ले पर राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के बगल वाली खाली जगह (4457.68 वर्गफीट) तथा पूर्व से अधिग्रहित क्षेत्र 7384.98 वर्गफीट के लिए एकरारनामा करने के निमित्त भेजे गये लीज समझौते की मसौदा प्रति (एकरारनामा का प्रारूप) में निर्धारित शर्तों के अधीन किराया पर लेने हेतु सरकार के नियमानुसार निबंधित एकरारनामा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर करने का कष्ट किया जाए अन्यथा अन्य इच्छुक कार्यालय को खाली जगह किराया पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- /83/2022/क0क्ष0वि0अं0, पटना

दिनांक- /01/2026

प्रतिलिपि- सचिव/राज्य निर्वाचन आयुक्त के आप्त सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, तृतीय तल, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- /83/2022/क0क्ष0वि0अं0, पटना

दिनांक- /01/2026

प्रतिलिपि- निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना/अधीक्षण अभियंता, कमांड क्षेत्र विकास अंचल, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- /83/2022/क0क्ष0वि0अं0, पटना

दिनांक- /01/2026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 15 /83/2022/क0क्ष0वि0अं0, पटना

दिनांक- 21/01/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

9

21/01/26